

केंद्रीय बजट 2023-24:

एक आकलन*

सक्षम सूद, इप्सिता पाढ़ी, अनूप के. सुरेश,
बिचित्रानंद सेठ और समीर रंजन बेहरा द्वारा

केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय को विकास के प्रमुख संवाहक के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह समष्टि-स्थिरता को मजबूत करने के लिए विश्वसनीय राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक ऋण के स्तर में कमी आई है क्योंकि सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सहारा लिया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण, डिजिटलीकरण, हरित संक्रमण और युवा सशक्तिकरण के बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाकर निकट भविष्य में लाभांश मिलने की उम्मीद है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2023-24 ऐसे समय में आया है जब एक अन्यथा निर्जन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को वैश्विक स्तर पर एक उज्ज्वल स्थान के रूप में देखा जा रहा है। यह समष्टि-आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हुए विकास और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से उपायों के माध्यम से सही तालमेल बिठाता है। बजट में सात प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जो एक-दूसरे के पूरक हैं यथा समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा और निवेश, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, क्षमता का उपयोग करना, हरित विकास, युवा शक्ति और अपने नीतिगत उद्देश्यों का मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय क्षेत्र। ये पहल लंबी अवधि में उत्पादकता लाभ प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएंगी।

यूरोप में युद्ध के कारण आपूर्ति में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होने के बावजूद केंद्र सरकार राजकोषीय समझदारी पर

पर्याप्त ध्यान देते हुए 2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का प्राप्त करने में कामयाब रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है, जिसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।

बजट में कर दाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने और कर आधार को व्यापक बनाने, आपूर्ति शृंखलाओं को औपचारिक रूप देने और कारोबार सुगमता में सुधार के उद्देश्य से कर ढांचे को सरल बनाने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब को फिर से तैयार करने से खपत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, विशेषरूप से ऐसे समय में जब वैश्विक मंदी की आशंका बनी हुई है। व्यय के दृष्टिकोण से राजस्व व्यय वृद्धि को 1.2 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है, जबकि पूंजीगत व्यय 2010-20 के दौरान औसतन 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 (बीई) में जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अलावा, राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत व्यय¹ के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ 2023-24 (बीई) तक बढ़ा दिया गया है।²

इस पृष्ठभूमि के साथ, शेष आलेख को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II राजकोषीय घाटे की अंतर्निहित गतिशीलता पर चर्चा करता है। खंड III और IV केंद्र सरकार की प्राप्ति और व्यय में रुझानों का आकलन करते हैं। खंड V केंद्र सरकार की बकाया देयताओं को दर्शाता है। खंड VI राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करता है जबकि खंड VII राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। खंड VIII निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

* लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक डॉ. देब प्रसाद रथ और डॉ. जी वी नथनएल को उनके मूल्यवान इनपुट के लिए और सुप्रिया अभिनव सुतार को डेटा समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।


¹ पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।

² विस्तृत बजट प्रस्तावों के लिए कृपया अनुबंध 2 देखें।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

सरकार ने 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय लक्ष्य का पालन किया³ हालांकि, संपूर्णता में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) बजट अनुमानों को 94,123 करोड़ रुपये से अधिक कर गया क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि उच्च प्राप्तियों से अधिक थी। राजस्व व्यय ने बजट अनुमानों को 2.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया, जबकि पूंजीगत व्यय 21,972 करोड़ रुपये कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में 2.4 लाख करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई। प्राप्तियों के मामले में निवल कर राजस्व बजट लक्ष्य से 1.5 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमान से 4,209 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। इसकी आंशिक भरपाई कम गैर-कर संग्रह से हुई, जिसमें 7,900 करोड़ रुपये की कमी देखी गई (चार्ट 1)।


2023-24 के लिए, जीएफडी का बजट जीडीपी⁴ के 5.9 प्रतिशत पर रखा गया है - 2022-23 (आरई) की तुलना में 51



³ 2016-17 में, केंद्र सरकार द्वारा बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य (जीडीपी का 3.5 प्रतिशत) को प्राप्त किया गया। हालांकि, 2017-18 से 2020-21 तक केंद्र सरकार अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही।

⁴ 2023-24 (बीई) के लिए अवास्तविक जीडीपी 3,01,75,065 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (अर्थात् 06 जनवरी, 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2,73,07,751 करोड़ रुपये)।

चार्ट 2: चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा



आधार अंकों की वृद्धि। अंतर्निहित आर्थिक चक्र को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत (चार्ट 2)⁵ पर कम रहा है। इसके अलावा, सरकार 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी प्राप्त करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2023-24 में सुदृढ़ीकरण को राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत तक सीमित करके हासिल करने का प्रयास किया जाना है, भले ही पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ाने का बजट है (सारणी 1)। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को मुक्त कर सकता है और पूंजी की लागत को कम करने में योगदान दे सकता है, जिससे 2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ सकती है।

जीएफडी का वितरण

2018-19 से 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा जीएफडी का लगभग 70 प्रतिशत था, जिसे 2022-23 (संशोधित अनुमान)

⁵ चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा वह राजकोषीय घाटा है जो प्रबल होगा अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर काम करती है। इसकी गणना चक्रीय रूप से समायोजित व्यय (E^*) और चक्रीय रूप से समायोजित राजस्व जैसे कि $R^* = R \left(\frac{Y^*}{Y}\right)^{\epsilon_r}$, $E^* = E \left(\frac{Y^*}{Y}\right)^{\epsilon_e}$ के रूप में की जाती है। जहां (R^*) और E वास्तविक राजस्व और व्यय हैं; Y वास्तविक आउटपुट है; Y^* संभावित आउटपुट है ϵ_r और ϵ_e आउटपुट अंतराल के संबंध में राजस्व और व्यय का लचीलापन हैं (फेडेलिनो एवं अन्य 2009)। कर राजस्व के लचीलेपन को 1.5 पर अनुमानित और व्यय से संबंधित स्वचालित स्टेबलाइजर्स की अनुपस्थिति में व्यय लचीलेपन का अनुमान शून्य माना जाता है।

सारणी 1: प्रमुख संकेतक 6

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2021-22	2022-23		2023-24
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	6.7	6.4	6.4	5.9
2. राजस्व घाटा	4.4	3.8	4.1	2.9
3. प्राथमिक घाटा	3.3	2.8	3.0	2.3
4. सकल कर राजस्व	11.4	10.7	11.1	11.1
5. गैर-कर राजस्व	1.5	1.0	1.0	1.0
6. राजस्व व्यय	13.5	12.4	12.7	11.6
7. पूंजीगत व्यय	2.5	2.9	2.7	3.3
जिसका कि: पूँजी परिव्यय	2.3	2.4	2.3	2.8
8. कर्ज	59.6	61.0	57.8	57.8
9. प्रभावी राजस्व घाटा	3.3	2.6	2.9	1.7

नोट: 1. पूंजी परिव्यय का तात्पर्य है पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम को घटा दिया जाए।

2. प्रभावी राजस्व घाटा का तात्पर्य राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान राशि के बीच का अंतर है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

में घटकर 63.3 प्रतिशत और 2023-24 (बजट अनुमान) में 48.7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, विकास-प्रेरित पूंजी परिव्यय का योगदान 2010-11 से 2019-20 के


दौरान जीएफडी के औसत 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 46.9 प्रतिशत होने का अनुमान है (चार्ट 3)।

III. प्राप्ति

चूंकि कर राजस्व बजट अनुमानों को पार कर गया, जिससे गैर-कर प्राप्ति में कमी को पूरा करता है अतः निवल कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति सहित कुल प्राप्ति 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.91 प्रतिशत रही, जो 8.85 प्रतिशत के बजटीय स्तर से मामूली अधिक है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्ति को सकल घरेलू उत्पाद के 9.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट अनुमान है।

कर राजस्व

यूक्रेन में युद्ध के समष्टि-आर्थिक परिणामों के बावजूद सकल कर राजस्व ने 2022-23 (आरई) में बेहतर प्रदर्शन किया। निगम कर, आयकर और जीएसटी में बजटीय प्रावधान से अधिक संग्रह के कारण सकल कर राजस्व बजट अनुमान से 2.9 लाख करोड़ रुपये अधिक हो गया। 2023-24 के लिए सकल कर राजस्व में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 0.99 की बजटीय उछाल है जो प्रवृत्ति स्तर के करीब है (2010-11 से 2018-19 के औसत से प्रॉक्सी किया गया) [सारणी 2]।



⁶ विवरण के लिए कृपया अनुबंध 1 देखें।

सारणी 2: कर में वृद्धि

	औसत कर वृद्धि (2010-11 से 2018-19)	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6
1. सकल कर राजस्व	1.11	1.72	0.86	0.80	0.99
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	2.51	1.22	1.11	1.00
(i) निगम कर	0.92	2.85	1.20	1.12	1.00
(ii) आयकर	1.27	2.21	1.28	1.13	1.00
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	1.04	0.51	0.46	0.99
(i) जीएसटी	-	1.39	1.40	1.45	1.14
(ii) सीमा शुल्क	0.31	2.47	1.14	0.33	1.05
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	0.04	-1.34	-1.23	0.57

नोट: '-': लागू नहीं। कर वृद्धि को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन और कर नीतियों में विवेकाधीन परिवर्तनों के लिए कर राजस्व की जवाबदेही के रूप में परिभाषित किया गया है; 2022-23 (बीई) के लिए गणना 2021-22 (आरई) से अधिक की गई है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेजों के आधार पर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।


प्रत्यक्ष कर

2022-23 (संशोधित अनुमान) में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, प्रत्यक्ष करों में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023-24 में जीडीपी के 6.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है (चार्ट 4)। विभिन्न प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए बजट में कई प्रत्यक्ष कर परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। व्यक्तिगत आयकर के तहत, बजट में नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों का प्रस्ताव है - (i) छूट सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना, (ii) स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच करना और कर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना और (iii) वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती लाभ का विस्तार नई कर व्यवस्था में करना। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को भी 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर मौजूदा 42.74 प्रतिशत की दर से घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

2022-23 (संशोधित अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 55,247 करोड़ रुपये अधिक हो गया, क्योंकि जीएसटी संग्रह बजट अनुमान से 74,000 करोड़ रुपये अधिक हो गया, जिससे सीमा शुल्क (3,000 करोड़ रुपये) और उत्पाद शुल्क संग्रह (15,000 करोड़ रुपये) में हुई कमी की भरपाई हुई। मई 2022 में ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती ने 2022-23

चार्ट 4: कर-जीडीपी अनुपात




(संशोधित अनुमान) में उत्पाद शुल्क संग्रह को जहाँ कम कर दिया, वहीं जीएसटी संग्रह में 1.45 की उछाल दर्ज की गई, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार और कर आधार बढ़ाने तथा अनुपालन में सुधार के प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष करों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में क्रमशः 12.0 प्रतिशत, 11.0 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

बजट में प्रस्तावित कर परिवर्तन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से उपभोग्य आय में 35,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे व्यक्तिगत उपभोग⁷ को बढ़ावा मिलने से 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 15 आधार अंक की वृद्धि होने का अनुमान है।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर स्रोतों से प्राप्तियां 2022-23 (संशोधित अनुमान) में बजटीय लक्ष्यों से 7,900 करोड़ रुपये कम हो गईं, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा अवास्तविक निर्धारित बजटीय अधिशेष से कम हस्तांतरण को आंशिक रूप से उच्च ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और स्पेक्ट्रम राजस्व (चार्ट 5) द्वारा भरपाई की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में गैर-कर राजस्व 15.2 प्रतिशत बढ़कर 3.0 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।


⁷ विवरण के लिए, आरबीआई बुलेटिन (फरवरी 2023) में आलेख "अर्थव्यवस्था की स्थिति" देखें।



गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश⁸ से 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि बजटीय लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से दिसंबर 2022 के अंत तक केवल 38,671 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं। 2023-24 (बजट

अनुमान) में, विनिवेश लक्ष्य ₹ 61,000 करोड़ (चार्ट 6) पर रखा गया है। 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ऋण और अग्रिम की वसूली बजट अनुमान से 9,209 करोड़ रुपये अधिक रही, जो विनिवेश प्राप्ति में कमी से अधिक है। 2023-24 में ऋण वसूली में 2022-23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 2.1 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।



⁸ विनिवेश प्राप्ति से तात्पर्य विविध पूंजीगत प्राप्ति से है, जिसमें विनिवेश और अन्य प्राप्ति शामिल हैं।

IV. व्यय

2023-24 में कुल व्यय में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो 2022-23 (संशोधित अनुमान) की 10.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। 2023-24 में राजस्व व्यय में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है क्योंकि खाद्य सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और यूरिया की कीमतों में कमी के कारण प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 28.2 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। निवेश और वृद्धि को पुनर्जीवित करने के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय महामारी के बाद की अवधि में पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिया गया है क्योंकि पूंजीगत व्यय को 2010-20 के दौरान औसतन 1.7 प्रतिशत से 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है (सारणी 3)।

2023-24 में, पूंजीगत व्यय का बजट ₹10 लाख करोड़ है, जो 2019-20 में खर्च की गई राशि का लगभग तीन गुना है। पूंजीगत व्यय का मंत्रालय-वार आवंटन इंगित करता है कि रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2023-24 के

लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट 7)। प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान) में वृद्धि, इसके गुणक प्रभाव के माध्यम से, 2023-27 के दौरान 10.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करेगी, जिसमें रेलवे और राज्यों को ऋण सहायता का योगदान 43 प्रतिशत होगा, जबकि रसद में निवेश का योगदान 19 प्रतिशत होगा⁹।

इसके बाद, हम केंद्र सरकार के कुल व्यय को नियत व्यय में विघटित करते हैं, जिसमें संस्थानों पर व्यय¹⁰, ब्याज भुगतान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान और राज्यों को जीएसटी मुआवजा; और विवेकाधीन व्यय जिसमें केंद्रीय योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्यों को हस्तांतरण शामिल हैं (वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजे को छोड़कर)। महामारी से पहले, नियत व्यय का हिस्सा विवेकाधीन व्यय से अधिक था। हालांकि, जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था की समाप्ति और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण की शुरुआत के साथ,

सारणी 3: केंद्र सरकार का व्यय


	₹ हजार करोड़				विकास दर (प्रतिशत)		
	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल व्यय	3,794	3,945	4,187	4,503	4.0	10.4	7.5
2. राजस्व व्यय (जिसमें से)	3,201	3,195	3,459	3,502	-0.2	8.1	1.2
(i) ब्याज भुगतान	805	941	941	1,080	16.8	16.8	14.8
(ii) प्रमुख सब्सिडी	446	318	522	375	-28.8	16.9	-28.2
खाना	289	207	287	197	-28.4	-0.6	-31.3
उर्वरक	154	105	225	175	-31.6	46.5	-22.3
पेट्रोलियम	3	6	9	2	69.8	167.9	-75.4
(iii) मनरेगा	98	73	89	60	-25.9	-9.2	-32.9
(iv) पीएम-किसान	67	68	60	60	1.8	-10.2	0.0
(v) रक्षा (राजस्व)	229	233	260	270	1.9	13.5	4.1
3. पूंजीगत व्यय	593	750	728	1,001	26.5	22.8	37.4
(i) पूंजी परिव्यय	534	610	620	837	14.2	16.0	35.0
4. प्रभावी पूंजीगत व्यय	836	1,068	1,054	1,371	27.8	26.1	30.1

नोट: प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान का योग है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

⁹ विवरण के लिए, आरबीआई बुलेटिन (फरवरी 2023) में आलेख "अर्थव्यवस्था की स्थिति" देखें।

¹⁰ स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, पेंशन और कार्यालय संचालन व्यय शामिल है।




नियत व्यय का हिस्सा 2023-24 (बजट अनुमान) में कुल व्यय का 45.1 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 8)।


V. बकाया ऋण

महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में जीडीपी के 62.8 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार के कुल बकाया ऋण को

2023-24 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 57.8 प्रतिशत तक समेकित करने का बजट है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात 41.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है (चार्ट 9 ए)। ब्याज दर वृद्धि अंतर (आईआरजीडी), ऋण स्थिरता का एक संकेतक, अनुकूल बना हुआ है, भले ही हाल के वर्षों में इसकी परिमाण में गिरावट आई है (चार्ट 9 बी)।



चार्ट 9: बकाया देयताएं और ब्याज दर वृद्धि अंतर




हालांकि, चूंकि केंद्र सरकार का ऋण अभी भी महामारी से पहले की प्रवृत्ति की तुलना में अधिक बना हुआ है, इसलिए राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बने रहने की आवश्यकता है।

6. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

2022-23 के संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत तक

सीमित रखने के बजट लक्ष्य को हासिल किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाजार उधार केंद्र सरकार के लिए जीएफडी के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत है, इसके बाद अल्प बचत के बदले जारी प्रतिभूतियां हैं (चार्ट 10)। 2023-24 में, सकल और निवल बाजार उधारी का बजट ₹15.4 लाख करोड़ और ₹11.8 लाख करोड़ है, जो 2022-23 (संशोधित

चार्ट 10: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत



सारणी 4: केंद्र सरकार के बाजार उधार

(₹ करोड़)

	सकल बाजार उधार	निवल बाजार उधार
2018-19	5,71,000 (3.0)	4,22,735 (2.2)
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.4)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23 (आरई)	14,21,000 (5.2)	11,08,183 (4.1)
2023-24 (बीई)	15,43,000 (5.1)	11,80,911 (3.9)

नोट: कोष्ठक के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।


अनुमान) में क्रमशः ₹14.2 लाख करोड़ और ₹11.1 लाख करोड़ था (सारणी 4)। महामारी से पहले के स्तर की ओर केंद्र सरकार की बाजार उधार आवश्यकताओं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) में धीरे-धीरे कमी से निजी निवेश के लिए जगह बनेगी।

7. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

केंद्र ने 2023-24 के लिए राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 प्रतिशत तय किया है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। राज्यों को सकल हस्तांतरण को 2023-24 (बीई) में बढ़ाने का बजटीय अनुमान है, जिसका मुख्य कारण कर हस्तांतरण में वृद्धि और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए आवंटन में वृद्धि है (चार्ट 11, अनुबंध 3)। वित्त आयोग अनुदान में 2023-24 में गिरावट आने की उम्मीद है, मुख्य रूप से हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत कम हस्तांतरण के कारण, जबकि स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तांतरण में तेजी से वृद्धि देखी गई है (चार्ट 12)।

अवसंरचना में राज्यों के निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र ने 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है¹¹ 2023-24 के दौरान ही ऋण की


चार्ट 11: राज्यों को संसाधन हस्तांतरण



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

राशि को खर्च करना होगा। जबकि अधिकांश ऋण राज्यों के विवेक पर होगा, इसका एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर निर्भर करेगा। परिव्यय का एक हिस्सा पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करने, शहरी नियोजन

चार्ट 12: 2023-24 में वित्त आयोग अनुदान में व-द-व परिवर्तन (बीई)



टिप्पणी: यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय; आरएलबी: ग्रामीण स्थानीय निकाय; एसडीआरएफ: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

¹¹ 2022-23 (बीई) में, इस राशि को ₹ 1 लाख करोड़ पर बजट किया गया था, हालांकि 2022-23 (आरई) के मुताबिक आवंटन ₹ 76,000 करोड़ रहा।

सुधारों और कार्यों, शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के वित्तपोषण (उन्हें नगरपालिका बॉण्ड के लिए ऋण योग्य बनाने के लिए), पुलिस स्टेशनों के ऊपर या हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मॉल, बच्चों और किशोरों के पुस्तकालयों और डिजिटल अवसंरचना के निर्माण और केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्यों के हिस्से से भी जुड़ा होगा। केंद्रीय बजट में संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी अवसंरचना पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से नगरपालिका बॉण्ड के लिए उनकी ऋण-योग्यता में सुधार करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, एक शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वृद्धि की गति (उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से) को मजबूत करना और राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता के साथ आर्थिक नींव को मजबूत करके समष्टिआर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। जबकि उच्च पूंजीगत व्यय से कई गुना प्रभाव और निजी निवेश बढ़ेगा, राजकोषीय समेकन निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा, एकीकृत और समन्वित योजना, डिजिटलीकरण और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों और जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए कौशल पहलों द्वारा समर्थित अवसंरचना के विकास से निकट अवधि से परे लाभांश प्राप्त होने और मध्यम-अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जैसा कि इसके साथ के आलेख “अर्थव्यवस्था की स्थिति” में बताया गया है।

अनुबंध 1: केंद्रीय बजट 2023-24: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

	₹ हजार करोड़					जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर	
	2020-21	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रत्यक्ष कर	945	1,408	1,420	1,650	1,823	6.0	6.0	17.2	10.5
(i) कॉर्पोरेशन	458	712	720	835	923	3.1	3.1	17.3	10.5
(ii) आय	470	673	680	790	873	2.9	2.9	17.4	10.5
2. अप्रत्यक्ष कर	1,082	1,301	1,338	1,393	1,538	5.1	5.1	7.1	10.4
(i) जीएसटी	549	698	780	854	957	3.1	3.2	22.3	12.0
(ii) सीमा-शुल्क	135	200	213	210	233	0.8	0.8	5.1	11.0
(iii) उत्पाद शुल्क	392	395	335	320	339	1.2	1.1	-18.9	5.9
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2,027	2,709	2,758	3,043	3,361	11.1	11.1	12.3	10.4
4. राज्यों को दिया जाने वाला	595	898	817	948	1,021	3.5	3.4	5.6	7.7
5. एनसीसीडी हस्तांतरण	6	6	6	8	9	0.0	0.0	30.5	9.7
6. निवल कर राजस्व (3-4-5)	1,426	1,805	1,935	2,087	2,331	7.6	7.7	15.6	11.7
7. गैर-कर राजस्व	208	365	270	262	302	1.0	1.0	-28.3	15.2
(i) लाभांश और लाभ	97	161	114	84	91	0.3	0.3	-47.7	8.4
(ii) ब्याज प्राप्ति	17	22	18	25	25	0.1	0.1	12.6	0.7
8. राजस्व प्राप्ति (6+7)	1,634	2,170	2,204	2,348	2,632	8.6	8.7	8.2	12.1
9. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति	58	39	79	84	84	0.3	0.3	112.1	0.6
(i) विनिवेश प्राप्ति	38	15	65	60	61	0.2	0.2	309.9	1.7
(ii) ऋणों की वसूली	20	25	14	24	23	0.1	0.1	-5.0	-2.1
10. कुल प्राप्ति (उदा. उधार) (8+9)	1,692	2,209	2,284	2,432	2,716	8.9	9.0	10.1	11.7
11. राजस्व व्यय	3,084	3,201	3,195	3,459	3,502	12.7	11.6	8.1	1.2
(i) ब्याज भुगतान	680	805	941	941	1,080	3.4	3.6	16.8	14.8
(ii) प्रमुख सब्सिडी	708	446	318	522	375	1.9	1.2	16.9	-28.2
खाद्य	541	289	207	287	197	1.1	0.7	-0.6	-31.3
उर्वरक	128	154	105	225	175	0.8	0.6	46.5	-22.3
पेट्रोल	38	3	6	9	2	0.0	0.0	167.9	-75.4
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	426	593	750	728	1,001	2.7	3.3	22.8	37.4
(i) पूंजी परिव्यय	316	534	610	620	837	2.3	2.8	16.0	35.0
(ii) ऋण और अग्रिम	110	58	140	108	164	0.4	0.5	85.1	51.6
13. कुल व्यय (11+12)	3,510	3,794	3,945	4,187	4,503	15.3	14.9	10.4	7.5
14. राजस्व घाटा (13-10)	1,818	1,585	1,661	1,755	1,787	6.4	5.9	10.8	1.8

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

बजट में पेश की गई आर्थिक कार्यसूची तीन विषयों पर केंद्रित है: पहला, नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना; दूसरा, वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना; और तीसरा, समष्टि-आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। उल्लिखित विषयों में सहायता के लिए निम्नलिखित चार अवसर परिवर्तनकारी हो सकते हैं।

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम (आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा जुटाए गए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सुविधा सेवा।
2. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास): पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) कीमत श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने की योजना।
3. पर्यटन: राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अभिसरण के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा देना।
4. हरित वृद्धि: विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती और हरित गतिशीलता के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

बजट में सात प्राथमिकताओं की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्राथमिकता के तहत बजट द्वारा प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत कार्रवाइयां नीचे सूचीबद्ध हैं।

प्राथमिकता 1: समावेशी विकास

कृषि और सहयोग

- नवोन्मेषी और किफायती समाधान प्रदान करने, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना।

- कृषि क्षेत्र के लिए एक खुले-स्रोत, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित है जो समावेशी, किसान केंद्रित समाधान और कृषि-टेक उद्योग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन को सक्षम करेगा।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के लक्षित कृषि ऋण।
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की स्थापना।
- भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में समर्थन दिया जाएगा ताकि भारत बाजरा का वैश्विक केंद्र बन सके।
- भंडारण क्षमता का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण ताकि किसानों को उचित समय पर बिक्री के माध्यम से लाभदायक कीमत हासिल करने में मदद मिल सके।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल

- 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा।
- उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
- चयनित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान की सुविधा।
- अभिनव शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम लेनदेन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की पुनः कल्पना। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को इस उद्देश्य के लिए उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और डिवाइस अज्ञेय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता को विकसित करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों को आयु-उपयुक्त पठन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 2: अंतिम छोर तक पहुंचना

- कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतुष्टि के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
- आदिवासी छात्रों की देखभाल करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती।
- कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5,300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान।
- पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि।

प्राथमिकता 3: अवसंरचना और निवेश

- पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए

किए गए प्रावधान से पूरक है; केंद्र के 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक ले जाना है।

- 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता 1.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय के साथ एक और वर्ष के लिए जारी रहेगी।
- अवसंरचना वित्त सचिवालय अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से अंत तक कनेक्टिविटी, पहले से आखिर तक कनेक्टिविटी के लिए एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉर्टों, जल हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा।

शहरी विकास

- शहरों को नगरपालिका बांड के लिए अपनी ऋण योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी अवसंरचना पर उपयोगकर्ता शुल्क की घेराबंदी के माध्यम से।
- एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण की कमी के लिए की जाएगी जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- मैनहोल से मशीन-होल मोड में परिवर्तन के लिए सभी शहरों और कस्बों के सेप्टिक टैंक और सीवर की मशीनों से सफाई को 100 प्रतिशत तक सक्षम किया जाएगा।

प्राथमिकता 4: क्षमता को उजागर करना

- मिशन कर्मयोगी के तहत, सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल में और सुधार करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, आईजीओटी कर्मयोगी भी लॉन्च किया है।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- 'मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के विजन को साकार करने के लिए, शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों द्वारा नवोन्मेष और अनुसंधान को उजागर करने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा अभिशासन नीति लाई जाएगी। यह अनाम डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगा।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को 'एक आकार सभी के लिए फिट बैठता है' दृष्टिकोण के बजाय 'जोखिम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाते हुए सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवाईसी प्रणाली को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा रखे जा रहे व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेशन के लिए सर्व समाधान डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके स्थापित किया जाएगा।
- व्यावसायिक संस्थानों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना आवश्यक है, पैन का उपयोग विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी; और इसे कानूनी जनादेश के माध्यम से लाया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही जानकारी अलग-अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- विवाद से विश्वास I। योजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए कम कठोर संविदा निष्पादन है।
- विवाद से विश्वास II। योजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए सरकारी उपक्रमों और सरकार के संविदा संबंधी विवादों का आसानी से निपटान करना है।
- प्रतिस्पर्धी विकास आवश्यकताओं के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने के लिए, पायलट आधार पर, चुनिंदा योजनाओं के वित्तपोषण को 'इनपुट-आधारित' से 'परिणाम-आधारित' में बदल दिया जाएगा।
- न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-कोर्ट परियोजना का चरण -3 ₹ 7,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।
- भारत में फिनटेक सेवाओं को आधार, पीएम जन धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सहित हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है। ज्यादा फिनटेक नवोन्मेषी सेवाओं को सक्षम करने के लिए, व्यक्तियों के डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार किया जाएगा।
- एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ न्यास द्वारा उपयोग के लिए एक डिजीलॉकर संस्था स्थापित की जाएगी। यह विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहीत और साझा करने की दिशा में होगा।
- 5जी सेवाओं का उपयोग करके ऐपलिकेशन को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की क्षमता की एक नई श्रृंखला का उपयोग किया जा सके।

प्राथमिकता 5: हरित संवृद्धि

- अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हाल ही में 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
- बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए ₹ 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4,000 मेगावाट की क्षमता के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्थित किया जाएगा।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- लद्दाख से 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्य संचारण प्रणाली का निर्माण ₹20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ किया जाएगा, जिसमें ₹8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी शामिल है।
- कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक हरित ऋण कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।
- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) शुरू किया जाएगा।
- ₹10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- मैंग्रोव वनों के लिए वनीकरण पहल 'तटरेखा पर्यावास और मूल आय के लिए मैंग्रोव पहल' (मिष्टि) नामक शुरू की जाएगी।
- आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन करने के लिए अगले तीन वर्षों में एक नई योजना, अमृत धरोहर लागू की जाएगी।
- व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से माल ढुलाई और यात्रियों दोनों के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्राथमिकता 6: युवा शक्ति

कौशल निर्माण

- अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। यह योजना उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी। अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए, 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा।
- अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अखिल-भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

पर्यटन

- राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक यूनिकोड मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के रूप में कम से कम 50 गंतव्यों का चयन और विकास किया जाएगा।

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र

- एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना के तहत ₹9,000 करोड़ के विस्तारित कोष का प्रस्ताव किया गया है ताकि ₹2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटी ऋण लिया जा सके।
- वित्तीय और सहायक जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। एक नया विधायी ढांचा इस सार्वजनिक

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

<p>ऋण अवसंरचना को नियंत्रित करेगा, और इसे रिज़र्व बैंक के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अमृत काल की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन की सुविधा के लिए, सार्वजनिक परामर्श, आवश्यकतानुसार और व्यवहार्य रूप से, विनियमन बनाने और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में लाया जाएगा। • अनुपालन की लागत को सरल बनाने, आसान बनाने और कम करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए वे सार्वजनिक और विनियमित संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। • गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्तीय टेक-सिटी (जीआईएफटी) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी): जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: <ul style="list-style-type: none"> ○ दोहरे विनियमन से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान करना। ○ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), एसईजेड प्राधिकरणों, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की स्थापना। ○ विदेशी बैंकों की आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति। ○ व्यापार पुनर्वित्त-पोषण के लिए निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक की सहायक कंपनी की स्थापना। 	<ul style="list-style-type: none"> ○ मध्यस्थता, सहायक सेवाओं के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियम में संशोधन करना और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचना। ○ अपतटीय व्युत्पन्नी साधनों को वैध संविदा के रूप में पहचानना। • बैंक अभिशासन में सुधार लाने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। • प्रतिभूति बाजार में कार्यकर्ताओं और पेशेवरों की क्षमता का निर्माण करने के लिए, सेबी को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का अधिकार दिया जाएगा। • कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों को तेजी से किए जाने के लिए एक केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। • निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से बिना दावे वाले शेयरों और अवैतनिक लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा। • डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। 2022 में, उन्होंने लेनदेन में 76 प्रतिशत और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस डिजिटल अवसंरचना के लिए राजकोषीय समर्थन 2023-24 में जारी रखा जाएगा। • एक बार की नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर ₹2 लाख तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाएगी। मासिक आय
---	--

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए ₹ 4.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹ 9 लाख से ₹ 15 लाख तक बढ़ा दी जाएगी।

राजकोषीय प्रबंधन

- राज्यों को पचास साल का ब्याज मुक्त ऋण: राज्यों को दिए जाने वाले पूरे पचास साल के ऋण को 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर होगा, लेकिन एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर सशर्त होगा। परिव्यय के कुछ हिस्सों को निम्नलिखित उद्देश्यों से भी जोड़ा जाएगा, या आवंटित किया जाएगा:
- पुराने सरकारी वाहनों को हटाना।
- शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई।
- शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों का वित्तपोषण करना ताकि उन्हें नगरपालिका बॉण्ड के लिए ऋण योग्य बनाया जा सके।
- पुलिस स्टेशनों के ऊपर या हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवासा।
- यूनिटी मॉल बनाना।
- बच्चों और किशोरों के पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना।
- केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्य की हिस्सेदारी।
- राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।

कर प्रस्ताव

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- केंद्रीय बजट में वस्त्र और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव है। नतीजतन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और

नेफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव हैं।

क्षेत्र विशेष अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- हरित गतिशीलता: बजट में मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित जीएसटी भुगतान वाली संपीड़ित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट को और बढ़ाया जा रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: बजट में कैमरा लेंस जैसे कुछ पुर्जों और कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने और बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। टेलीविजन पैनलों के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रिकल: इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है और हीट कॉइल पर इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- रसायन और पेट्रोरसायन: ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने और इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए, डीनेचर्ड ईथाइल अल्कोहल को मूल सीमा शुल्क छूट दी गई है। एसिड ग्रेड फ्लोरस्फार और कूड ग्लिसरीन पर भी मूल सीमा शुल्क कम किया जा रहा है।
- समुद्री उत्पाद: समुद्री उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, झींगा के लिए चारा के घरेलू निर्माण के लिए प्रमुख आदानों पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव है।
- प्रयोगशाला में बने हीरे: हीरे को तराशने और पॉलिशिंग में भारत के वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए, बजट में प्रयोगशाला में बनने वाले हीरे (एलजीडी) के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सीड पर मूल सीमा शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

- कीमती धातुएं: बजट में सोने और प्लैटिनम से बनी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। चांदी के डोरे, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है।
- मिश्रित रबर: मिश्रित रबर पर मूल सीमा शुल्क दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर '25 प्रतिशत या ₹30/किग्रा' जो भी कम हो, की जा रही है।
- सिगरेट: विनिर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) को लगभग 16 प्रतिशत तक संशोधित करने का प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- एमएसएमई और पेशेवर: बजट में सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा को बढ़ाकर ₹3 करोड़ और 5 प्रतिशत से कम नकद भुगतान वाले पेशेवरों के लिए ₹75 लाख करने का प्रस्ताव है।
- सहकारी समितियां: नई विनिर्माण कंपनियों के अनुरूप, विनिर्माण गतिविधियों को शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को भी 15 प्रतिशत की कम कर दर से लाभ होगा। सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बिना नकदी निकालने की सीमा बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दी गई है।
- चीनी की सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद में ऋण की जुर्माना छूट के लिए प्रति सदस्य ₹2 लाख की उच्च सीमा के लिए प्रस्ताव किया गया है।

- स्टार्ट-अप: स्टार्ट-अप को आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। स्टार्ट-अप की शेयरधारिता को निगमन के सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किए जाने पर होने वाले घाटे को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।
- अपील: लंबित अपीलों को कम करने के लिए, छोटी अपीलों के निपटान के लिए लगभग 100 ज्वाइंट कमिश्नर को तैनात करने का प्रस्ताव है।
- कर रियायतों का बेहतर लक्ष्यीकरण: बजट में धारा 54 और 54 एफ के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव है।
- युक्तिकरण: आवास, शहरों, कस्बों और गांवों के विकास और किसी गतिविधि को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ या राज्य की विधियों द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है।

वैयक्तिक आय कर

- नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर ₹7 लाख करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कोई आयकर नहीं है।
- बजट में नई वैयक्तिक आयकर व्यवस्था के तहत कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। संशोधित नई कर व्यवस्था इस प्रकार है:
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी लोगों के लिए ₹50,000 की मानक कटौती और पेंशनभोगियों के लिए ₹15,000 तक की कटौती।
- नई कर व्यवस्था में अधिभार की उच्चतम दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है। इससे अधिकतम कर की दर 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत

अनुबंध 2: केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

रह जाएगी।

- गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव है।
- नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प जारी रहेगा।

अनुबंध 3: विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को केंद्र से संसाधन हस्तांतरण

	2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)	2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)	2021-2022	2022-2023 (आरई)	2023-2024 (बीई)
	₹ करोड़			सकल हस्तांतरण के प्रतिशत के अनुसार			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		
I करों में राज्यों के हिस्से का न्यागमन	898,392	948,406	1,021,448	52.7	55.4	54.8	51.0	5.6	7.7
II हस्तांतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें जिनमें:	202,808	125,177	183,613	11.9	7.3	9.9	23.0	-38.3	46.7
1. जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले राज्यों को एक के बाद एक ऋण	147,866	-	-	8.7	0.0	0.0	34.2	-	-
2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं- ऋण	23,083	29,580	24,550	1.4	1.7	1.3	-13.8	28.1	-17.0
3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	14,186	76,000	130,000	0.8	4.4	7.0	19.9	435.7	71.1
III वित्त आयोग अनुदान जिनमें:	207,435	173,257	165,480	12.2	10.1	8.9	12.7	-16.5	-4.5
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – शहरी निकाय	16,147	15,026	24,222	0.9	0.9	1.3	-39.5	-6.9	61.2
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	40,312	41,000	47,018	2.4	2.4	2.5	-33.6	1.7	14.7
3. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	17,747	18,635	19,573	1.0	1.1	1.1	-20.3	5.0	5.0
4. न्यागमन के बाद राजस्व घाटा अनुदान	118,452	86,201	51,673	6.9	5.0	2.8	59.3	-27.2	-40.1
IV राज्यों को कुल हस्तांतरण [I +II +III के अलावा]	345,847	395,334	426,996	20.3	23.1	22.9	6.3	14.3	8.0
1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व)	334,581	346,992	364,270	19.6	20.3	19.6	8.5	3.7	5.0
2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत (राजस्व)	9,994	46,687	60,942	0.6	2.7	3.3	-38.1	367.2	30.5
3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	1,270	1,552	1,681	0.1	0.1	0.1	26.6	22.2	8.3
4. पूंजी हस्तांतरण	2	102	103	0.0	0.0	0.0	-5.0	5268.4	1.0
V दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में हस्तांतरण	51,128	68,654	65,337	3.0	4.0	3.5	0.9	34.3	-4.8
VI राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सकल हस्तांतरण (I+II+III+IV+V)	1,705,610	1,710,828	1,862,874	100.0	100.0	100.0	29.2	0.3	8.9
VII ऋण और अग्रिम की कम वसूली	17,569	9,105	8,296	1.0	0.5	0.4	9.1	-48.2	-8.9
VIII निवल हस्तांतरण (VI-VII)	1,688,041	1,701,723	1,854,578	99.0	99.5	99.6	29.5	0.8	9.0
IX सकल हस्तांतरण/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.2	6.3	6.2	-	-	-	-	-	-
X निवल हस्तांतरण/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.1	6.2	6.1	-	-	-	-	-	-

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।